राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन / फेक्स : 02992–252377 **ई–मेल :** pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

प्रेसनोट
21.12.2018

अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में बैठक सोमवार को

जैसलमेर, 21 दिसम्बर। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार आगामी अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 दिसम्बर ,बुधवार से प्रारम्भ किया जा रहा है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ए.डी.एम) वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान किये जाने वाले कार्यो की जानकारी प्रदान करने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक चर्चा करने के लिए 24 दिसम्बर ,सोमवार को प्रातः11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ओम कसेरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन रखा गया है।

उन्होंने बताया कि इस बैठक के अवसर पर जैसलमेर विधायक रुपाराम धनदे ,पोकरण विधायक शाले मोहम्मद , जिलाध्यक्ष , इण्डियन नेशनल कांग्रेस (आई) जैसलमेर , जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर , जिलाध्यक्ष , राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ,जैसलमेर , जिलाध्यक्ष , बहुजन समाज पार्टी , जैसलमेर तथा जिलाध्यक्ष , जनता दल (यूनाईटेड) , जैसलमेर को भी आमंत्रित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने अन्य संबंधित विभागीय अधिकारीगण को भी बैठक में आवश्यक रुप से नियत समय पर सम्मिलित होने के लिए निर्देशित किया गया है।

––––000–––

मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने मतदाताओं को मतदाता सूची में अधिकाधि कनाम जुड़वाने की कि अपील

जैसलमेर, 21 दिसम्बर। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ए.डी.एम) वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने निर्वाचन विभाग के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर को आगामी 12 व 19 जनवरी 2019 को ग्रामसभा की बैठक आयोजन किये जाने के सख्त निर्देश प्रदान किए गये है। इसी प्रकार उन्होंने आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर और अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पोकरण को भी इन्ही तिथियों में वार्डसभा की बैठक आयोजित करने की हिदायत दी गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने बताया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिन लोगों की आयु आगामी दिनांक 01 जनवरी ,2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है ऐसे पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रुप से जोड़ावें । उन्होंनें अपील की हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिकाधिक पात्र मतदाता सूची में आवश्यक रुप से जुड़वा कर जिला निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता जिनके नाम विधानसभा निर्वाचन में किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं वे भी इस अभियान के दौरान अपने नाम संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अवश्य ही जुड़वाने की कार्यवाही करें।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 दिसम्बर 2018 को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारुप प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार से 26 दिसम्बर से आगामी 25 जनवरी तक की अवधि के लिए दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त की जाएगी। इसी क्रम में 12 जनवरी व 19 जनवरी ,2019 को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्ठियों का ग्रामसभा व स्थानीय निकाय व आवासीय वेल्फेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित की जाकर इसका पठन व सत्यापन किया जाएगा।

पुनरीक्षण कार्यक्रमानुसार आगामी 13 जनवरी व 20 जनवरी को राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ विशेष अभियान की तिथि में दावे एवं आपत्तियों के आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाएगें। इसी प्रकार 11 फरवरी 2019 को दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा एवं 18 फरवरी को डेटाबेस अपरेट करना ,फोटोग्राफ मर्ज करने का कार्य ,कंट्रोल टेबल्स को अपटेड करना पूरक मतदाता सूचियों की तैयार व मुद्रण की जाएगी और 22 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

उप जिला जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने बताया कि मतदाताओं के पहचान–पत्र एक से अधिक क्षेत्रों के लिये बने हुए है ऐसे व्यक्ति शेष पहचान–पत्रों को तत्काल निस्स्त करवा लें। जिन मतदाता का निधन हो चुका है उनके परिजन उनके पहचान–पत्र को समय रहते निरस्त करवा दें। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए वे इस कार्य में निर्वाचन विभाग को पूरा सहयोग दें।

––000––

आठवीं बोर्ड परीक्षा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित

जैसलमेर, 21 दिसम्बर। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2019 के लिये वंचित पात्र विद्यार्थियों के लिये आवेदन करने एवं पूर्व में आवेदन ऑनलाईन करने में रही त्रुटि सुधार के संबंध में पार्टल आगामी 31 दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिये खोला गया है।

डाईट प्रधानाचार्य मोहम्मद अमीन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाईन करने से वंचित योग्य विद्यार्थियों एवं पूर्व ऑनलाईन आवेदन में रही त्रुटि सुधार के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त दिवस के बाद किसी भी प्रकार के प्रकरण के लिये संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होगें।

–––000–––